आर0 आर0 सिंह,
अनुसचिव, वित्त

अर्द्ध0शा0प0सं0:६५५ /XXVII(1)/2005
उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–1
देहरादून,दिनांक ९ मई,2005

उत्तरांचल शासन

प्रिय महोदय,

दिनांक 02.05.2005 को प्रमुख सचिव, वित्त के कार्यालय कक्ष में श्री प्रभात चन्द्रा, महालेखाकार, उत्तरांचल के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त प्रेषित करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया संलग्न कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त। सादर

भवदीय,
(आर0 आर0 सिंह)

1. श्री प्रभात चन्द्रा,
   महालेखाकार, उत्तरांचल,
   देहरादून।

2. श्री यशपाल सिंह,
   निदेशक,
   लेखा एवं हकदारी,
   उत्तरांचल, देहरादून।

3. श्री टी0 एन0 सिंह,
   निदेशक,
   कोषागार एवं वित्त सेवायें,
   सह – स्टेट इंटरनल आडिटर,
   23– लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
   देहरादून।

4. श्री राकेश गोयल,
   निदेशक,
   एन0 आई0 सी0,
   देहरादून।

Berryji.30

महालेखाकार उत्तरांचल के साथ बैठक का कार्य वृत्त

दिनांक 02 मई 2005 को प्रमुख सचिव वित्त के साथ उनके कार्यालय कक्ष में श्री प्रभात चन्द्रा, महालेखाकार उत्तरांचल के साथ बैठक हुई जिसमें श्री टी0एन0 सिंह, अपर सचिव वित्त ने भी भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हुआ :–

1– महालेखाकार ने अवगत कराया कि जुलाई 2005 में इन्टरनेशनल सेन्टर ऑडिट एण्ड एकाउन्ट्स, नोएडा में डायरेक्टर, लोक फण्ड ऑडिट /लोकल फण्ड एग्जामिनर/स्टेट इन्टरनल ऑडिटर्स का तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें उत्तरांचल के अधिकारी के भाग लेने की बात कही गयी। प्रमुख सचिव वित्त ने सहमति व्यक्त किया कि उक्त सम्मेलन में उत्तरांचल का प्रतिनिधित्व स्टेट इन्टरनल ऑडिटर करेंगे।

2– महालेखाकार को इस बात से अवगत कराया गया कि पूर्व से इस आशय के आदेश हैं कि मात्र सरकारी विभागों के पी0एल0ए0 ही 31 मार्च को लैप्स होंगे, शेष पी0एल0ए0, यथा– भविष्य निधि, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्था तथा निगमों आदि के पी0एल0ए0 वर्ष–दर–वर्ष रिन्यू किये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी अनुरोध किया गया कि विधायक निधि, जो डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखी जाती है वह सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की भॉति लैप्स नहीं होगी। परन्तु महालेखाकार कार्यालय के द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में डी0आर0डी0ए0, जो एक स्थानीय निकाय है, के पी0एल0ए0 को वर्ष–दर–वर्ष रिन्यू करने के निर्देश दिये गये हैं। यह स्पष्ट किया गया कि नये पी0एल0ए0 जब भी खोले जायेंगे उस पर महालेखाकार की अनुमति अनिवार्य होगी। इस श्रेणी में जल–विद्युत निगम तथा पुस्तकालय निधि जैसे कुछ प्रकरण आवेदन की स्थिति में हैं, जिस पर महालेखाकार की अनुमति प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित कोषागार में पी0एल0ए0 खोला जाना सम्भव होगा। महालेखाकार उत्तरांचल ने इन प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण एवं कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

3– देहरादून कोषागार में ओरेकिल पर आधारित कार्यपद्धति प्रारम्भ की गयी है, अतः महालेखाकार कार्यालय में ओरेकिल पर वाउचरवार इन्ट्री को दृष्टि में रखते हुए दोनों स्तरों पर समानता स्थापित हो सके, के आधार पर राज्य के तकनीकी सलाहकार, भारत सरकार की संस्था एन0आई0सी0 तथा महालेखाकार के कन्सल्टेन्ट टी0सी0एस0 आपस में बैठकर कोषागार एवं महालेखाकार कार्यालयों के सॉफ्टवेयर में कम्पटेबिलिटी पर अपनी अध्ययन आख्या प्रस्तुत कर सकें, पर सहमति व्यक्त की गयी।

4– जिन सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का रखरखाव महालेखाकार कार्यालय में किया जाता है, ऐसे अभिदाताओं में ~~लगभग 50 प्रतिशत~~ कतिपय अभिदाताओं के लेखे सही नहीं हैं, को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कोषागारों में लागू एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली में सम्पूर्ण जी0पी0एफ0 सम्बन्धी कटौती का विवरण कम्प्यूटर पर उपलब्ध है, अतः इस प्रकार की कार्ययोजना तैयार कर ली जाय कि मिसिंग क्रेडिट्स की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

5– महालेखाकार से इस आशय का अनुरोध किया गया कि रक्षा पेंशनर्स, अन्य राज्यों के पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स आदि से होने वाली प्रतिपूर्तियों का मासिक विवरण

निदेशक कोषागार एवं शासन के अपर सचिव वित्त को उपलब्ध कराया ज
महालेखाकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने पर सहमति व्यक्त की
6– पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स पर उत्तरांचल द्वारा जनसंख्या के अनु
से अधिक हुए भुगतान की प्रतिपूर्ति के क्रम में यह उचित पाया गया कि
प्रकरण को पुनः भारत सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करते हुए शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया जाय
7– महालेखाकार कार्यालय से विभागों द्वारा वर्ष 2004–2005 के लेखे मिला
किये जाने को गम्भीरता से लिया गया तथा निर्णय लिया गया कि वित्त नियं
की बैठक प्रमुख सचिव वित्त के स्तर पर की जाय तथा मुख्य सचिव को
स्थिति से अवगत कराते हुए उनके स्तर से समस्त विभागों को लेखों के मि
करने हेतु समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी कराया जाना उचित होगा।

महालेखाकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त की गई।